न्यायालय, अपर समाहर्ता,रॉची।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या 34 आर–15/07–08

सुरेश हजाम — पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

लखनलाल साह — प्रतिवादी

आदेश

27
21.11.2008

यह पुनरीक्षण दाखिल खारिज अपील 51 आर 15/04–05 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची द्वारा दिनांक 31.7.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने दाखिल खारिज वाद संख्या 80 आर 15/04–05 में अंचल पदाधिकारी, अनगड़ा द्वारा दिनांक 18.8.2004 को पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें प्रतिवार्दी के नाम निम्नांकित जमीन का नामांतरण अस्वीकृत किया गया था।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
चतरा	2	21	8 डिसमिल
		23	5 ,,
		22	2 ,,

पुनरीक्षण आवेदन में बताया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता ने ग्राम चतरा खाता संख्या 2 खेसरा संख्या 21 रकबा 20 डिसमिल, खेसरा संख्या 23 रकबा 8 डिसमिल, खाता संख्या 226 रकबा 2 डिसमिल जमीन अपने भाईयों के साथ संयुक्त रुप से विक्रेता नन्कु हजाम, फुलचन्द हजाम एवं लच्छु हजाम से खरीदा था। अनगड़ा अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 25 आर 27/99–2000 से सुरेश हजाम एवं दिनेश हजाम के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया। दिनेश हजाम की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी गंगा देवी तथा नाबालिग पुत्र दीपक, जगदीश एवं जीतेन्द्र हुए। प्रतिवादी ने अंचल कार्यालय अनगड़ा में खेसरा संया 21, 22 एवं 23 रकबा कमशः 8 डिसमिल, 5 डिसमिल एवं 2 डिसमिल जमीन के नामांतरण वाद संख्या 80 आर 27/04–05 दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि दिनेश हजाम ने निबंधित वसीका द्वारा जमीन उन्हें हस्तांतरित किया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच में पाया गया कि विवादित जमीन पर

प्रतिवादी का दखल नहीं है। जॉच में यह भी पाया गया कि खेसरा संख्या 22 रकबा 2 डिसमिल जमीन गैरमजरुआ है। इस आधार पर प्रतिवादी का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इसके विरुद्ध प्रतिवादी ने उपसमाहर्ता भूमि सुधार सदर, रॉची के न्यायालय में अपील वाद संख्या 51 आर 15/04–05 दायर किया परन्तु इसमें दिनेश हजाम के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलीय न्यायालय में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जवाब दिया गया कि दिनेश हजाम द्वारा बिक्री पट्टे को एक दुसरे कैन्सिलनामा पट्टे द्वारा दिनांक 2.5.1998 को रद्द कर दिया गया था। अपीलीय न्यायालय में यह भी बताया गया कि प्रतिवादी का विवादित जमीन पर दखल नहीं है। परन्तु अपील स्वीकृत कर लिया गया। पुनरीक्षण आवेदन में कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय का आदेश नामांतरण के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि प्रतिवादी का विवादित जमीन पर दखल नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारीख अनगड़ा द्वारा खेसरा संख्या 22 के गैरमजरुआ होने के कारण सम्पुर्ण जमीन का नामांतरण अस्वीकृत किया गया था। इनका यह भी कहना है कि विवादित जमीन प्रतिवादी ने दिनेश हजाम से निबंधित वसीका द्वारा खरीदा है और इसे सिर्फ व्यवहार न्यायालय द्वारा ही रद्द किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क, निम्न न्यायालय अभिलेख, प्रस्तुत दस्तावेज एवं हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। नामांतरण के लिए प्रश्नगत जमीन पर दखल का होना एक आवश्यक शर्त है। इस मामले में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के स्थल जॉच में प्रतिवादी का विवादित जमीन पर दखल नहीं पाया गया जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, अनगडा ने प्रतिवादी का नामांतरण अस्वीकृत किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का अपील स्वीकृत करते समय यह उल्लेख नहीं किया है कि किस आधार पर अपीलकर्ता का दखल विवादित जमीन पर माना गया जबकि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन स्पष्ट है कि प्रतिवादी विवादित जमीन पर दखलकार नहीं हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार का जॉच कराये यह उल्लेख केया गया है कि प्रतिवादी का विवादित जमीन पर

दखल है जबकि अंचल अधिकारी अनगड़ा का आदेश स्थल जॉच प्रतिवेदन पर आधारित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलीय न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 51 आर 15/04–05 में दिनांक 31.7.2007 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है एवं अंचल अधिकारी अनगड़ा द्वारा नामांतरण वाद संख्या 80 आर 27/04–05 में दिनांक 18.8.2004 को पारित आदेश को बहाल किया जाता है।

दिनांकः– 21.11.2008 लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
रॉची।